संख्या – 659 / XXVII(1)/2005

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी
सम्बन्धित नगरपालिका परिषद, उत्तरांचल
(संलग्न सूची के अनुसार)

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून : दिनांक : 06 मई, 2005

विषय : प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय वर्ष 2004–05 की समनुदेशन की रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश की शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2004–05 में 70 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है तथा 30 प्रतिशत धनराशि उनके वित्तीय तथा संस्थागत कार्य निष्पादन से सम्बद्ध कर रोकी गई थी। आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 (ग) के अनुसार आयुक्त गढ़वाल मण्डल की संस्तुति पर राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्णयानुसार मानकों के आधार पर राजस्व वृद्धि की शर्तें पूरी करने पर संलग्नक – 1 के विवरणानुसार नगर पालिका परिषदों की रोकी गई कुल धनराशि रू0 3,51,12,000/– (रू0 तीन करोड़ इक्यावन लाख बारह हजार मात्र) संकलित किये जाने की श्री सज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकलित की जा रही है:–

(1) स्थानीय निकायों को कुल देय वार्षिक धनराशि से रोके गये 30 प्रतिशत अंश के सापेक्ष प्रतिवेदन के प्रस्तर 21.5 के अन्तर्गत प्रस्तर 22.5 व 22.6 के अनुसार राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की संस्तुति पर अवमुक्त किया जा रहा है।

(2) संकलित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संकलित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए संकलित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन / समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(3) नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के लेखानुदान की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–192–नगरपालिका/नगर निकाय–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्न :– यथोक्त।

भवदीय,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

संख्या– 658 (1)/XXVII(1)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल।
3. निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार।
5. निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून, हरिद्वार।
7. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9. एन0 आई0 सी0 सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।

आज्ञा से,

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त

O/C

संलग्नक – 1

शासनादेश संख्या 658 /XXVII(1)/2005, दिनांक 06 मई, 2005

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 के समनुदेशन की रोकी गई 30 प्रतिशत धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित आबंटन

(धनराशि हजार में)

क0सं0	नगर पालिका परिषद का नाम	प्रस्तावित आबंटन
I	II	III
	गढ़वाल मण्डल	
1	ऋषिकेश	5594
2	रूड़की	9100
3	मंगलौर	4011
4	हरिद्वार	16407
	योगः–	35112

(रूपये तीन करोड़ इक्यावन लाख बारह हजार मात्र)

(के0 सी0 मिश्र)
अपर सचिव, वित्त